न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— सचिन यादव आर.ए.एस.

प्रकरण सख्याः—12 / 19 दायर दिनांकः—06.02.19

1. विष्णु पुत्र मनोहरी जाति जाटव निवाती भुसावर जिला भरतपुर
2. बृजमोहन पुत्र पूरन जाति जाटव निवाती भुसावर जिला भरतपुर
3. नीरज पुत्र पूरन जाति जाटव निवाती भुसावर जिला भरतपुर
4. ओमवती पत्नी पूरन जाति जाटव निवाती भुसावर जिला भरतपुर
5. चन्द्रपाल पुत्र पूरन नावालिग जरिये मा ओमवती पत्नी पूरन
6. राज पुत्र पूरन नावालिग जरिये मा ओमवती पत्नी पूरन जाति जाटव निवाती भुसावर जिला भरतपुर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील वैर — असल प्रतिवादी

2. गंगा पत्नी रनवीर जाति जाति जाटव निवासी भुसावर जिला भरतपुर
3. नटवर पुत्र रनवीर नावालिग जरिये मा गंगा पत्नी रनवीर जाति जाटव निवासी भुसावर जिला भरतपुर
4. गजेन्द्र पुत्र रनवीर नावालिग जरिये मा गंगा पत्नी रनवीर जाति जाटव निवासी भुसावर जिला भरतपुर
5. विनिता पुत्री रनवीर जाति जाटव निवासी भुसावर जिला भरतपुर
6. पूजा पुत्री रनवीर जाति जाटव निवासी भुसावर जिला भरतपुर
7. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रेवती प्रसाद जाति जाटव निवासी भुसावर जिला भरतपुर

तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थित वादी अधिवक्ता :- श्री षिवचरनलाल धाकड
उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ताः- श्री गुटयारी सिंह
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर।

दावा डिक्लेरेशन अन्तर्गत धारा
88.89 आर-टी-एक्ट

<u>निर्णय दिनांक 23.07.2024</u>

वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर पुराना 10/ रकबा 9 बीघा 06 बिस्वा एवं नया खसरा नम्बर 12/ रकबा 1.5100 हैक्टयर वाके ग्राम नरहरपुर तहसील वैर जिला भरतपुर में स्थित है जिसमें वादी संख्या एव विष्णु 1/3 हिस्से का व वादी संख्या 2 लगायत 6 के स्वर्गीय पिता/पति पूरन पुत्र मनोहरी 42/186 हिस्से का व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के स्वर्गीय पिता/पति रनवीर पुत्र मनोहरी 123 हिस्से का व तरतीवी प्रतिवादी 7 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रेवती प्रसाद 20/186 हिस्से का रिकार्ड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है, जिसका अंकन ग्राम नरहरपुर की जमाबंदी 2072 लगायत 2075 में बखूबी हो रहा है। सैटलमेंट विभाग द्वारा सैटिलमेंट करते समय पुराने खसरा नम्बर 10/ रकबा 9 बीघा 06 बिस्वा एवं नया खसरा नम्बर 12 रकबा 1.5100 हैक्टयर बनाते समय व जमाबंदी संवत् 2074 तैयार करते तमय सैटलमेंट कर्मचारियों द्वारा सहवन गलती

से जमाबन्दी संवत् 2072 लगाया 2075 में वर्णित खातेदारान व उनके निहित हिस्सों का सही प्रकार से अंकन नहीं किया और तरतीवी प्रतिवादी संख्या 7 राजेन्द्र प्रसाद के हिस्से 20/186 के स्थान पर 20/62 डिल्ला दर 1/3 हिस्सा, वादी विष्णु के स्थान पर किशन नाम गलत दर्ज कर दिया व विष्णु व रनवीर का हिस्सा 23 हिस्सा दर्ज करते हुये मृतक पूरन के 42/186 को दर्ज नहीं किया। इस प्रकार सैटलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा उक्त खाते में पूर्ण रूप से गलती है, तथा तथा उक्त खाते में खातेधारियों का हिस्सा भी पूर्ण नहीं हो रहा है। इसलिए सैटलमेंट विभाग द्वारा जमाबंदी संवत् 2074 के खाता संख्या 181 में की गई प्रविष्टिया गलत व अशुद्ध हैं जो की कल्माजन के हैं और जमाबंदी संवत 2072 लगायत 2075 के अनुसार नये खाते में प्रविष्टिया होनी अवश्यक है । वादीगण को सैटिलमैन्ट विभाग द्वारा संवत् 2074 की जमाबन्दी में की गई गलती की जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 28-1-2019 को नक्ल लेने पर जानकारी हुई तो वादीगण ने दिनांक 28-1-2019 को प्रतिवादी तहसीलदार साहब वैर से उक्त कागजात पटवार में हुई गलती को शुद्ध करने के लिये निवेदन किया तो प्रतिवादी तहसीलदार वैर ने इंकारी करदी और न्यायालय हाजा में दावा पेश करने की सलाह दी । अतः दावा वादी गण पेश है। जमाबंदी में उक्त गलत इन्द्राज से वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को सख्त हक तलफी हो रही है, और वे राज्य सरकार व बैंक से प्राप्त सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे है। इसलिये वादीगण को उक्त इन्द्राज को शुद्ध कराने व अपने हकूको को घोषित कराने के लिये न्यायालय हाजा में दावा पेश करना लाजिमी हुआ है। वाद का कारण दिनांक 28-1-2019 को नक़ल जमाबंदी संवत 2074 लेने पर व उसमे हो रही अशुधि के कारण पैदा हुआ है। अतः दावा वादीगण अन्दर अवधि में पेश है। तरतीवी प्रतिवादी गण का उक्त आराजी में हित निहित है, वक्त दावा दायर उपलब्ध नहीं होने की वजह से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है, उनके खिलाफ दादरसी बांछित नहीं है। दावा अर्जेन्ट एंव इमिजियेट नेचर का है, इसलिये राज० सरकार को नोटिस नहीं दिया गया है। अतः दावा धारा 80(2) जा०दी० के प्रावधान के तहत पेश है। दर० परिमीशन अलग से पेश है। वादग्रस्त आराजी व वाद का कारण न्यायालय हाजा के अधिकार क्षेत्र में है। अतः न्यायालय हाजा को उक्त वाद की सुनवाई के अधिकार प्राप्त है। घोषित फरमाया जाये कि आराजी खसरा नम्बर पुराना 10/ रकबा 9 बीघा 06 बिस्वा व नया खसरा नम्बर 12/ रकबा 1.5100 हैक्टयर वाके ग्राम नरहरपुर तहसील वैर में वादी संख्या एक विष्णु 1/3 हिस्से का व वादी संख्या 2 लगायत 6 के स्वर्गीय पिता/पति पूरन पुत्र मनोहरी 42/186 हिस्से का व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के स्वर्गीय पिता/पति रनवीर पुत्र मनोहरी 1/3 हिस्से का व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 7 राजेन्द्र पुत्र रेवती प्रसाद 20/186 हिस्से का खातेदार काश्तकार एव काबिज आराजी है । कागजात पटवार में हो रहे गलत इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उपरोक्तानुसार वादीगण एव तरतीवी प्रतिवादी गण के नाम खातेदारी का अमल दरामद कराया जावे ।
प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नक़ल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 एवं 2074 संलग्न किये हैं ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया | प्रतिवादी 2 लगायत 6 की ओर से श्री गुट्यारी सिंह एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया अप्रार्थीगण जवाब पेश नहीं करना चाहते | प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि वाके ग्राम नरहरपुर वर्तमान जमाबंदी संवत 2075 से 2078 में खसरा संख्या 12 रकबा 1.51 हैक्ट में कृष्ण कुमार पुत्र हरिकिशन हिस्सा 16/51 किशन पुत्र मनहोरी हिस्सा 1/3 गंगादेई पत्नी रनवीर हिस्सा 71/2265, राजेन्द्र पुत्र रनवीर हिस्सा 71/2265, नटवर सिंह पुत्र रनवीर 71/2265, पूजा पुत्री रनवीर हिस्सा 1/15, पुरन पुत्र मनोहरी हिस्सा 7/31, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रेवती प्रसाद हिस्सा 10/93, विनीता पुत्री रनवीर हिस्सा 1/15 जाति जाटव साकिन भुसावर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है| पूर्व जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 87 में खसरा संख्या 10 रकबा 9 बीघा 6 विस्वा (वर्तमान खसरा संख्या 12 रकबा 1.51 हैक्ट) पूरन 42/186, विष्णु 1/3, रनवीर 1/3 पिसरान मनोहरी, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रेवती प्रसाद हिस्सा 20/186 कोम जाटव साकिर भुसावर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है | सैटलमेंट जमाबंदी 2074 में खसरा संख्या 12 रकबा 1.51 हैक्ट, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रेवती हिस्सा 20/62 दर हिस्सा 1/3, किशन हिस्सा 1/3 पुत्र मनोहरी, गंगादेई पत्नी रणवीर, नटवर सिंह राजेन्द्र पिसरान रनवीर पूजा विनीता पुत्री रनवीर हिस्सा 1/3 जाति जाटव साकिन भुसावर दर्ज रिकॉर्ड है| तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वर्तमान जमाबंदी 2075 से 2078 में पूर्व जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 87 के अनुसार किशन के स्थान पर विष्णु किया जाना उचित है |

वकुलाय पक्षकारान की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज रिकॉर्ड एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट मुताबिक वादी का नाम जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 87 में विष्णु है इसलिए उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर पुराना 10/ रकबा 9 बीघा 06 बिस्वा व नया खसरा नम्बर 12/ रकबा 1.5100 हैक्टयर वाके ग्राम नरहरपुर तहसील वैर मैं वादी संख्या एक विष्णु 1/3 हिस्से का व वादी संख्या 2 लगायत 6 के स्वर्गीय पिता/पति पूरन पुत्र मनोहरी 42/186 हिस्से का व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के स्वर्गीय पिता/पति रनवीर पुत्र मनोहरी 1/3 हिस्से का व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 7 राजेन्द्र पुत्र रेवती प्रसाद 20/186 हिस्से का खातेदार काश्तकार एव काबिज आराजी है। कागजात पटवार में हो रहे गलत इन्द्राज को कलमजन किया जाकर वर्तमान जमाबंदी 2075 से 2078 में पूर्व जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 87 के अनुसार किशन के स्थान पर विष्णु राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी
वैर, भरतपुर